संख्या– 3216 I/33–3–2015–43/2010टी.सी.

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश। (जनपद गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)

पंचायती राज अनुभाग–3 लखनऊ दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

विषय : पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2015 के पश्चात् संघटित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को आयोजित किया जाना।

महोदय,

ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पश्चात् उनके संघटन तथा पंचायत पदाधिकारियों के शपथ विषयक शासनादेश संख्या–3216/33–3–2015–43/2010टीसी टी.सी. दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम पंचायतों के सामान्य निर्वाचन के पश्चात् प्रदेश में संघटित समस्त ग्राम पंचायतों के कार्यकाल में समानता लाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश में संघटित समस्त ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को आहूत की जाए।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली के नियम–31 तथा 32 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुसार ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा शपथ ग्रहण के तत्काल बाद उसी दिन ग्राम पंचायत की दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को बैठक हेतु समय व स्थान उल्लिखित करके प्रथम बैठक की नोटिस जारी करते हुए समस्त ग्राम पंचायत सदस्यों को लिखित रूप से नोटिस तामिल करा दी जाए तथा नोटिस की एक प्रति पंचायत भवन जैसे सार्वजनिक स्थान पर भी चस्पा कर दी जाए। इस बैठक में विगत ग्राम पंचायत के समक्ष लम्बित प्रकरणों, विशेषतया विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के अन्तर्गत पंचायतों को सौंपे गये कार्यों एवं दायित्वों और शासन द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों आदि में प्रशासन की संवेदनशीलता, पारदर्शिता, जवाबदेही और जन सहभागिता के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी जाए। साथ ही प्रथम बैठक के एजेण्डा में ग्राम पंचायत की 6 समितियों के गठन की कार्यवाही का बिन्दु भी रखा जाए और यथासम्भव प्रथम बैठक में ही समितियां गठित करा ली जाएं। यदि किसी कारणवश प्रथम बैठक में 6 समितियां गठित नहीं हो पाती हैं तो नियमानुसार ग्राम पंचायत की अगली बैठक में सभी ग्राम, पंचायतों में समितियां अवश्य गठित करा दी जाएं।

Jaigovind Pandey

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार दिनांक 26 दिसम्बर, 2015 को जनपद की समस्त संघटित ग्राम पंचायतों की प्रथम बैठक अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित करायें तथा अनुपालन आख्या निदेशक, पंचायती राज, उ.प्र. को दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/33–3–2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. प्रमुख सचिव, पशु धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश।
10. निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
11. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश को समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
12. आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
14. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (जनपद गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)
15. समस्त मण्डलीय उप निदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
16. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश। (जनपद गौतमबुद्ध नगर को छोड़कर)

आज्ञा से,

(महेन्द्र कुमार)
विशेष सचिव।